

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 24/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 27 जून, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियाँ के संबंध में उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग व कतव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.	वि. वि.	ख. वि.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै रिब्स एक्सिम कंसल्टंट्स प्रा. लि., शॉप सं. 123, 2 तल, शंकर रोड मार्केट, न्यू राजद्र नगर, नई दिल्ली और श्री ललित कुमार बाबूलाल तातेर	फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/ 50D/Enq-13 (Int- 19)/ 2015 दिनांक 29.04.2019.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-1), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.

<p>उप ललित जैन, निदेशक, मै रिव्स एक्सिम कंसल्टंटस प्रा. लि., शॉप सं. 123, 2 तल, शंकर रोड माकट, न्यू राजद्र नगर, नई दिल्ली और निवासी E-21, कर्ति नगर, 3 तल, नई दिल्ली.</p>		<p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (नियात), इनलड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.</p>	
---	--	--	--

[. . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-19/2019-CI]

(श्री)
f

प्रतिर्लाप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) म वर्णित समान न्यायनिणयन प्राधिकारों को मामले के न्याय निणयन हेतू।
2. तालिका के स्तंभ (4) म वर्णित न्यायनिणयन प्राधिकारों।
3. उप निदेशक (ए सेल), डीआरआई-मुख्यालय, नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे संबंधित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियां को समान न्याय निणयनन अधिकारों को नियुक्ति के बारे मे सूचित कर। यह भी निवेदन है कि वे कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस का अभिस्वीकृत (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निणयन अधिकारों को भेज दे